संख्या-555/चौवालिस-2-23/88

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित
शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

2-राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/
नोएडा/बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 1988

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव का स्थानान्तरण इनके अपने संगठन में पदधारित करने की तिथि से दो वर्षों तक न किये जायें और यदि इस अवधि में अपरिहार्य कारणवश किन्हीं प्रशासनिक कारणों से उक्त पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करना अति आवश्यक हो तो उस दशा में स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी से एक स्तर ऊपर अधिकारी की अनुमति स्थानान्तरणों के कारणों को दर्शाते हुये प्राप्त की जाये।

2- इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं के कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त सेवा संघों की जिला शाखाओं के अध्यक्ष तथा सचिव (केवल दो पदाधिकारियों) को भी संगठन में पदाधिकारित करने की अवधि में स्थानान्तरण न करने की ही उक्त सुविधा दी जाय। यदि प्रशासनिक दृष्टि से उनका स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो उनके (शाखाओं के पदाधिकारियों के) मामले में जिला स्तर के अपर जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-555 (1)/44-2-23/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।